संख्याः 358/XX-1/11–103नि./05

प्रेषक,

जे. पी. जोशी
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः– 14 जून, 2011

विषयः–जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत भवनों के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, शासनादेश संख्या–666/XX(1)/103/निर्माण/प्लान/2005–06 दिनांक 17 मार्च, 2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत पुलिस लाईन रूद्रप्रयाग में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रूपये 236.94 लाख (रूपये दो करोड़ छत्तीस लाख चौरानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन देते हुये तत्समय प्रथम किश्त के रूप में रूपये 50 लाख(रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई तथा इसी कम में वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त तक कुल तीन किश्तों में सम्पूर्ण धनराशि (रूपये 236.94 लाख) अवमुक्त कर दी गई। कालान्तर में पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत करने पर यह संज्ञान में आया कि स्वीकृत निर्माण कार्य के स्थल एवं उद्देश्य में विभागीय स्तर पर, बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के, परिवर्तन करते हुए निर्माण कार्य विभिन्न स्थलों एवं उद्देश्यों हेतु किया गया। इस सम्बन्ध में, सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 17.03.2006 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को निरस्त करते हुए निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों की श्री राज्यपाल कार्योत्तर आधार पर संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रूपये लाख में)

क.सं.	निर्माण कार्य का नाम/स्थान	पूर्व स्वीकृत लागत	अनुमोदित लागत	अब तक अवमुक्त/व्यय धनराशि
1	पुलिस लाईन रतूड़ा में श्रेणी प्रथम के 04, श्रेणी द्वितीय के 12 तथा श्रेणी तृतीय के 06 आवास।	122.17	160.96	128.59
2	बेलाखरूर में पुलिस अधीक्षक कैम्प कार्यालय, श्रेणी प्रथम के 04, श्रेणी द्वितीय के 04, श्रेणी तृतीय के 02 तथा श्रेणी पंचम का 01 आवास।	72.77	171.75	66.36
3	उखीमठ में श्रेणी द्वितीय के 02 आवास।	10.50	11.76	10.48
4	गुप्तकाशी में श्रेणी द्वितीय के 02 आवास।	10.50	14.41	10.48
5	फाटा में श्रेणी द्वितीय के 02 आवास।	10.50	14.52	10.48

6	गौरी कुण्ड में श्रेणी द्वितीय के 02 आवास।	10.50	18.52	10.48
	योगः–	**236.94**	**391.92**	**236.87**

2– निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से तथा अनुमन्य मानकों के अनुसार पूर्ण कराया जाय। इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर एम.ओ.यू. निष्पादित किया जाय।

3– निर्माण कार्य संपादित करने तथा इस हेतु निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– व्यय करते समय वित्त हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के सुसंगत प्राविधानों तथा अन्य वित्तीय नियमों का परिपालन किया जाय।

5– जिन मामलों में व्यय करने से पूर्व शासन अथवा सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना आवश्यक हो उसमें यथास्थिति सम्बन्धित स्तर की पूर्व स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल की भू–वैज्ञानिक जांच कराकर स्थल की उपयुक्तता सुनिश्चित कर ली गई है, तथा मिट्टी की जांच कर भारवहन क्षमता आदि बिंदुओं को भी सुनिश्चित कर लिया गया है।

7– निर्माण कार्य के लिये स्वीकृत लागत के अधीन विस्तृत आगणनों पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय तथा दरें लोक निर्माण के द्वारा निर्धारित शेड्यूल दरों के आधार पर लीं जाय। जिन मदों में लोक निर्माण विभाग की शेड्यूल दर नहीं है वहां बाजार दरों पर सक्षम अधीक्षण अभियन्ता के अनुमोदन आधार पर व्यय को सीमित किया जाय।

8– निर्माण कार्य में भूकम्प रोधी तकनीक/डिजाइन को अपनाया जाय तथा वर्षा जल दोहन व्यवस्था को भी सम्मिलित किया जाय।

9– उक्त निर्माण कार्यों पर व्यय, आय–व्ययक के अनुदान संख्या 10 के लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 211–पुलिस आवास, 03–पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था(चालू कार्य) के मानक मद 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः–31/PLAN/XXVii(5)/2011 दिनांक 03 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे. पी. जोशी)
संयुक्त सचिव